खास खबरें

शिव मंदिर के पास महिला का पर्स चोरी

नप्र, भोपालः बजरिया थाना क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के पास महिला का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। फरियादी पिंकी चंदेल की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। महिला ने बताया कि पर्स में नकदी के अलावा जरूरी दस्तावेज रखे थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है।

बंगाली कॉलोनी में मकान का ताला तोड़कर चोरी

शाहपुरा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में अज्ञात बदमाश सूने मकान का ताला तोड़कर पर्स, नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

गोविंदपुरा में घर के बाहर से एक्टिवा चोरी

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के सी-सेक्टर सिक्योरिटी लाइन इलाके से अज्ञात बदमाश करीब 25 हजार रुपए कीमत की एक्टिवा चोरी कर ले गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से वाहन और आरोपियों की तलाश कर रही है।

शहर में एक ही दिन चार दोपहिया वाहन चोरी

जहांगीराबाद, गोविंदपुरा, शाहजहांनाबाद और कजलीखेड़ा थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों से दोपहिया वाहन चोरी होने के मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पताल, बाजार और पार्किंग से मोटरसाइकिलें व स्कूटर चोरी होने की शिकायतें मिली हैं। सभी मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वाहन और चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

कजलीखेड़ा में ट्रक की टक्कर,चालक पर केस

कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र में तेज और लापरवाही से ट्रक चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण कायम किया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और चालक की लापरवाही की जांच कर रही है।

शराब और हथियार पर पुलिस की कार्रवाई

हनुमानगंज थाना पुलिस ने अवैध शराब रखने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं एक व्यक्ति के कब्जे से छुरी बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

15 वर्षीय किशोर लापता, गुमशुदगी दर्ज

बजरिया थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोर के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने बताया कि किशोर बिना बताए घर से चला गया और काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू कर दी है।

सरकारी अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी

बैरसिया थाना क्षेत्र स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी करीब 10 हजार रुपए कीमत की बजाज मोटरसाइकिल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

जमीन विवाद में मारपीट, जान से मारने की धमकी

नजीराबाद थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की वैधानिक जांच कर रही है।

अधिकारी पद का नहीं, संस्कारों का परिचय दें : राज्यपाल

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सिविल सेवा में चयनित अधिकारी अपने पद के साथ संस्कार, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें। उन्होंने कहा कि संयमित, अनुशासित और मानवीय मूल्यों से जुड़े युवा ही समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं।

राज्यपाल बुधवार को संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित सिविल सेवा चयनित प्रतिभागियों के अभिनंदन एवं मार्गदर्शक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चयनित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि अधिकारी बनने के बाद पद का अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि संघर्षों से मिले संस्कारों के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से वाणी में विनम्रता, व्यवहार में धैर्य और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता रखने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने नशा मुक्त भारत अभियान का उल्लेख करते हुए युवाओं और समाज से नशे के दुष्प्रभावों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारते हुए बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सफलता कठोर परिश्रम, अनुशासन और मार्गदर्शकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने चयनित अधिकारियों से महिलाओं, बच्चों और समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों का उद्देश्य जनसेवा है। उन्होंने चयनित अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य बनाने की अपील की। कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों का सम्मान किया गया और मार्गदर्शकों को भी सम्मानित किया गया।

नगर निगम ने शहरभर में हटाए अतिक्रमण फ्लैक्स बोर्ड और अन्य सामग्री जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाए और कई प्रकार की सामग्री जब्त की।

कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल, शेड, चाय के टपरे, बांस-बल्ली के छप्पर सहित अन्य अस्थाई निर्माणों को हटाया गया। इसके अलावा आवागमन में बाधक लोडिंग वाहन, भवन निर्माण सामग्री, स्लैब, पानी के ड्रम, दुकानों के बाहर रखा सामान, फुटपाथ पर लगी सब्जी, फल और कपड़ों की दुकानें, ठेले, गुमठी, पान पार्लर, काउंटर, बोर्ड, स्टूल, टेबल और कुर्सियां भी हटाई गईं।

निगम के दलों ने रेतघाट, रविंद्र भवन, श्यामला हिल्स, लिंक रोड, भारत माता चौराहा, भदभदा रोड, नेहरू नगर, शाहपुरा, बावड़िया चौराहा, हमीदिया रोड, घोड़ा नक्कास, जहांगीराबाद, बैरागढ़ सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की। टीला जमालपुरा में अवैध अस्थाई बाउंड्रीवाल, भानपुर प्रगति नगर में स्लैब और भवन निर्माण सामग्री तथा श्यामला हिल्स स्थित जनजातीय संग्रहालय के सामने बने अवैध चाय के टपरे को हटाया गया।

अभियान के दौरान निगम अमले ने 10 फ्लैक्स बोर्ड, एक गेट फ्रेम, पांच जाली, एक काउंटर और चार लोहे की टूटी चादर सहित अन्य सामग्री जब्त की। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

संत हिरदाराम नगर स्टेशन पार्किंग में स्थायी बिजली बहाल, सुविधाओं के सुधार के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन की नई पार्किंग में लंबे समय से चली आ रही बिजली समस्या का अंत हो गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा पार्किंग परिसर में स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए मीटर स्थापित कर नियमित विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

बिजली व्यवस्था शुरू होने के बाद रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर पार्किंग का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ आवश्यक सुधारों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। बता दें पिछले डेढ़ माह से पार्किंग संचालक अस्थायी रूप से आसपास के प्रतिष्ठानों से बिजली लेकर काम चला रहा था।

बार-बार बिजली बाधित होने के कारण पार्किंग परिसर में अंधेरा छा जाता था, जिससे यात्रियों को वाहन खड़े करने और निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थायी कनेक्शन शुरू होने से इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि परिसर में पूर्व में लगी कई ट्यूब लाइटें हटा दी गई हैं। इस पर समिति ने नाराजगी जताते हुए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि रात के समय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बनी रहे।

रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य नीतेश लाल और नीलेश श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पार्किंग में बिजली, रोशनी और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त की जाएं।

निरीक्षण के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर जलभराव की समस्या भी सामने आई। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि यात्रियों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन निर्माण में तेजी के निर्देश

नप्र, भोपालः महापौर मालती राय ने जवाहर चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द पूरा किया जाए और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। महापौर ने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उपायुक्त हीरेन्द्र सिंह कुशवाह, मुख्य अभियंता संतोष गुप्ता सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बारिश में सुरक्षित आवागमन के लिए शहर की सड़कों पर कराया गया पैचवर्क : नगर निगम ने वर्षा ऋतु में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों पर पैचवर्क कार्य कराया है।

बोगदा पुल मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश, अतिक्रमण हटाने पर जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मेट्रो रेल परियोजना के कारण बोगदा पुल क्षेत्र में परिवर्तित मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए महापौर मालती राय ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मार्ग पर यातायात का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जाए और अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए।

महापौर ने बुधवार को निगम मुख्यालय अटल भवन में आयोजित बैठक में मेट्रो कार्यों के कारण बदले गए मार्गों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में निगम अधिकारियों, अतिक्रमण निरोधक दस्ते और यातायात पुलिस के अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई।

उन्होंने निर्देश दिए कि बोगदा पुल और आसपास के क्षेत्रों में यातायात दबाव को देखते हुए सड़कों पर किसी भी प्रकार का अवरोध न रहे। मार्गों से अतिक्रमण हटाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो। महापौर ने अधिकारियों को नागरिकों की आवाजाही आसान बनाने और यातायात प्रबंधन को प्रभावी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में उपायुक्त हीरेन्द्र सिंह कुशवाह, अतिक्रमण निरोधक दस्ते के प्रभारी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया, पार्षद अजीजुद्दीन, पार्षद नसीम गफूर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रोटरी क्लब की कमान संभाली तेजवानी ने

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः रोटरी क्लब ऑफ न्यू भोपाल के नए सत्र की शुरुआत के साथ वरिष्ठ रोटेरियन किशोर तेजवानी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सेवा और समाजहित के कार्यों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। समारोह में समाजसेवी एवं उद्योगपति चंद्र लालचंदानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिनेन्द्र जैन की विशेष उपस्थिति रही।

लालचंदानी ने कहा कि क्लब ने जरूरतमंदों की सहायता और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर तेजवानी और उनकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद किशोर तेजवानी ने कहा कि रोटरी क्लब लंबे समय से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है।

नई छात्राओं के लिए नवारंभ में ओरिएंटेशन कार्यक्रम

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः पंडित दीनदयाल उपाध्याय कन्या महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम नवारंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

इस अवसर पर नवयुवक सभा के अध्यक्ष वासदेव वाधवानी, कोषाध्यक्ष धर्म प्रकाश मोटवानी, महाविद्यालय के संचालक पुरुषोत्तम टिलवानी तथा प्राचार्य डॉ. प्रिया बुधानी ने छात्राओं से बात की। कार्यक्रम में वाणिज्य संकाय की विभागाध्यक्ष नीता कौल एवं कला संकाय की विभागाध्यक्ष डॉ. दिव्या वर्मा ने छात्राओं को पाठ्यक्रम की जानकारी दी। वहीं एनसीसी लेफ्टिनेंट कोमल अमलानी ने एनसीसी के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल

श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462002

ई-मेलः eephedqcbpl@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक 0755-2661511

क्रमांक : 13 /तक/का.यं/लो.स्वा.यां.वि./गु.नि.इ. खंड/भोपाल 2026-27 **दिनांकः 03.08.2026**

निविदा आमंत्रण सूचना

ऑनलाइन डिजीटली सील्ड निविदा मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से फार्म 'सी' पर 'Sodium Hypochlorite Solution UPS' के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 03.08.2026 से दिनांक 17.08.2026 को 16:00 बजे तक क्रय किये जाकर दिनांक 17.08.2026 को 16:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत करना है। लिफाफा 'ए' दिनांक 18.08.2026 को 16:00 बजे खोली जावेगी। बेवसाईट www.mptenders.gov.in (E-Tender No. 2026_PHED_526478_1, PHED Date 03.08.2026)

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि
1	Sodium Hypochlorite Solution UPS	-	रु. 25000.00 (रु. पच्चीस हजार मात्र)	रु. 2000.00 (रु. दो हजार मात्र)	-

विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।

मुख्य तिथियाँ

क्रय करने की तिथि	03.08.2026 से 17.08.2026 16:00 बजे तक
जमा करने की अंतिम तिथि	17.08.2026 16:00 बजे तक
बोली पूर्व बैठक तिथि	06.08.2026 16:00 बजे
लिफाफा 'ए' खुलने की तिथि	18.08.2026 16:00 बजे तक

जी-16710/26

आशीष मार्तण्ड कार्यपालन यंत्री
गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड, भोपाल

कार्यालय सेनानी 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल

ई-मेल: co7hn saf@mnnolice.gov in

क्रमांक-7वी वाहिनी/विसबल./Qm/1525 12026 दिनांकः 03/08/2026

ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल के यूनिट चिकित्सालयों (पुरूष चिकित्सालय एवं प्रोतिमा मलिक महिला चिकित्सालय) के इनडोर एवं आऊटडोर के मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाईयां कय किये जाने हेतु 03 माह दर अनुबन्ध के तहत खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्तें वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in/तथा www.mppolice.gov.in पर उपलब्ध हैं, ई-निविदा प्रकाशन उपरांत निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-टेण्डर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा, इस हेतु ई-निविदा पोर्टल पर अद्यतन रहें।

सेनानी
7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल

G 16730/26

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम समीम खाँ पिता श्री जमाल खाँ आयु वयस्क निवासी- ग्राम मुशकाबाद, विदिशा रोड रायसेन, दीवानगंज रायेन (म.प्र.) है। परन्तु मेरे पुत्र आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अल्फेज (ALFEJ) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजो एवं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। मैं अपने पुत्र के वास्तविक सही नाम पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अल्फेज पिता समीम खाँ (ALFAIZ S/O SAMEEM KHAN) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

पुराना नाम-अल्फेज (ALFEJ)

नया नाम- अल्फेज पिता समीम खाँ

(ALFAIZ S/O SAMEEM KHAN)

1207

-:जाहिर सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमति सईदा बी पत्नि श्री अहमद खां, निवासी श्यामपुर, दोराहा, जिला सीहोर म.प्र. एवं श्रीमति साजिदा बी (सज्जो बी) पत्नि श्री राजा मियां, निवासी-पाल मोहल्ला, ग्राम-बावड़िया कला, वार्ड क्र.-52. तहसील-कोलार, जिला-भोपाल म.प्र. द्वारा श्री राजेश कुमार वाधवानी आत्मज श्री हेमंत दास वाधवानी, निवासी मकान नं.-51, गोमंतिका परिसर जवाहर चौक, भोपाल म.प्र. उनके स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 168/1/1/1/4 (S) कुल रकबा 0.3910 हे. में से उसके हिस्से की भूमि 0.130 हे. जो कि मेरे पक्षकार द्वारा जिला न्यायालय में भोपाल में प्रकरण क्र. RCS 1280 A 2025 विचाराधीन है जिसकी पेशी दिनांक 03/09/2026 को नियत है एंव न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल सभांग प्र.क्र.-1140 A 25-26 आदेश दिनांक-01/07/2026 की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है एवं माननीय न्यायालय द्वारा व्यवहारवाद क्र.-471 A 2020 आदेश दिनांक 22/07/2022 यथावत स्थिति आदेश पारित किये गये है एवं मेरे पक्षकार द्वारा सवरजिस्टार एवं भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल को मेरे पक्षकार द्वारा आपत्ति दी गई है। मेरे पक्षकार को ज्ञात हुआ कि राजेश कुमार वाधवानी द्वारा भूमि का विक्रय करने का प्रयास कर रहा है अतः कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि के संबध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से किसी भी प्रकार का सर्वव्यवहार क्रय विक्रय लोन गिरवी व बंधक संबंधी न करें अन्यथा इसके उत्पन्न परिणाम के लिए संबंधी व्यक्ति संस्था जिम्मेदार रहेगी।

रहीस उद्दीन एडवोकेट
सारा लॉ चेम्बर
कार्या.-ए, मयूर विहार कॉलोनी अशोका गार्डन भोपाल
मो. 9713877966

1206

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकारों द्वारा ग्राम अमरावद, पटवारी हल्का क्रमांक 65, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) स्थित कृषि भूमि, खसरा क्रमांक 161/1 एस (रकबा 0.5690 हेक्टेयर) एवं 161/2 (रकबा 0.5690 हेक्टेयर), कुल रकबा लगभग 2.81 एकड़, विक्रेतागण- 1. श्रीमती राम बाई पत्नी श्री मदन सिंह (खसरा क्रमांक 161/1 (रकबा 0.5690 हेक्टेयर), 2. श्रीमती ज्ञान बाई पत्नी श्री मजबूत सिंह एवं 3. श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी श्री जयराम (2 लगयात 3 का हिस्सा, 161/2 (रकबा 0.5690 हेक्टेयर) द्वारा उनकी स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि के विक्रय हेतु विक्रय अनुबंध निष्पादित किया गया है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अन्य किसी का किसी प्रकार का स्वामित्व, अधिकार, हित, बंधक, ऋण, प्रभार, वाद, दावा, आपत्ति या अन्य कोई कानूनी अधिकार हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर अपने समस्त दस्तावेजी प्रमाणों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करे। यदि निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार, दावा अथवा हित शेष नहीं है तथा तत्पश्चात प्रस्तावित क्रेतागण द्वारा संबंधित विक्रय पत्र का निष्पादन कराया जाएगा। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के दावे अथवा आपत्ति के लिए अधोहस्ताक्षरी अथवा प्रस्तावित क्रेता उत्तरदायी नहीं होंगे।

RAKESH SINGH ADVOCATE
Office: - 101 B/ Nirmal Palace Near Axis Bank behind Awadhpuri Khajurikalan Bhopal (M.P) M.7224880908

1205

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक- 513/बी मण्डल द्वारा श्रीमती रूही सुल्तान पत्नी श्री मोहम्मद रफीक खान के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 28/07/2010 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 06/02/2013 को पंजीकृत है। श्रीमती रूही सुल्तान के द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर बैंक से ऋण लिया गया था, ऋण राशि अदा नहीं होने के कारण उक्त सम्पत्ति को नीलाम किया गया, नीलामी में उक्त सम्पत्ति को फोनेक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड से श्रीमती हसीना बेगम पत्नी श्री कमाल उद्दीन ने विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय कर लिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 31/03/2023 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता /विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती हसीना बेगम पत्नी श्री कमाल उद्दीन के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी / संस्था/ वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह नि. एवं अधो, वि.म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल

1204

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, निशातपुरा, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस.- 115 मण्डल द्वारा श्री सुभाष चंद दादलानी आत्मज श्री दीपचन्द दादलानी के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 17/11/1998 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 05/07/2018 को पंजीकृत किया गया है। श्री सुभाष चंद दादलानी का स्वर्गवास दिनांक 07/01/2023 को हो गया है। आवेदक आवंटी की पत्नी श्रीमती द्रोपती बाई दादलानी पत्नी स्व. श्री सुभाष चंद दादलानी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अन्य वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह नि. एवं अधो, वि.म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल

1203

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, की मेरे पक्षकार ने एक किता पूर्ण निर्मित आर.सी.सी. छतदार एक मंजिला मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 2777 वर्गफिट है, जो रजिस्ट्री अनुसार खसरा क्रमांक 5/2/1 एवं नामांतरण अनुसार खसरा क्रमांक 5/2/1/1/1, 52/2/2/1/1/1 का अंशभाग होकर ग्राम छोला 80 फिट मेन रोड, विकास खण्ड फन्दा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. में नगर निगम सीमा के अंदर वार्ड नम्बर 76 में स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐं इस प्रकार से हैः- दिशा पूरब में-80 फिट मेन रोड, दिशा पश्चिम में- अन्य की भूमि, दिशा उत्तर में नाला, एवं दिशा दक्षिण में- कालोनी का रोड। जो विक्रेता- 1. श्री अभिषेक गुर्जर आत्मज श्री भारत सिंह गुर्जर आयु वयस्क निवासी मकान नं. डी-110 अर्चना गैस गोदाम शिव शक्ति नगर छोला रोड, भोपाल म.प्र. एवं 2. श्री सत्यम नारायण दुबे आत्मज श्री रजनीकांत दुबे आयु वयस्क निवासी प्लेट नं. एल-01/201 बैरसिया रोड, जे.एन. सिटी कॉलेज के पास बी.डी.ए. कालोनी लाम्बाखेड़ा भोपाल म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के उपरोक्त मकान का टोकन अनुबंध मेरे पक्षकार ने कर लिया है। और शीघ्र ही मेरा पक्षकार उक्त मकान की तय मियाद में रजिस्ट्री कराने जा रहा है। यह कि उपरोक्त वर्णित मकान पर किसी व्यक्ति की कोई लेनदारी, सरकारी, गैर सरकारी, बैंक, वित्तीय, कहीं बंधक या कर्ज में लिप्त हो तो इस प्रकाशन के सात दिवस में आपत्ति दर्ज करा सकते है अर्थात् मेरे कार्यालय में मय सबूत के दर्ज करावे, अन्यथा मेरा पक्षकार रजिस्ट्री करालेगा, बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **सूचित हो।**

VIVEK YADAV ADVOCATE
Office:- Sai Law Chamber P-5, Patel Market, Bhanpur Vidisha Road Bhopal M.P.
M. 9893283696/9584942608

1202

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)

(अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14)

Process Id: 163461/2026 अपील क्रमांक MA/984/2015

SHEKH ALI **अपीलार्थी** FIROZ प्रत्यर्थी

सन् 2013 के MACC क्रमांक 1003 सन् 2013 में न्यायालय Member, MACT SUSHMA KHOSLA, Bhopal (Madhya Pradesh) की डिक्री/आदेश, दिनांक 12-11-2014 के विरुद्ध अपील।

प्रति, Hifiz S/o Taz Mohd., H.no.19/2 Ahata Shikander, Pul Bogda, District- Bhopal, Madhya Pradesh

प्रत्यर्थी-अपील की सुनवाई का दिनांक-कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इम न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 17-08-2026 नियत की गई है। आपत्तियां, प्रति आपत्तियां, यदि कोई हो, इस गुचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए। **कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक**-कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 17-08-2026 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातो करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें। सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है। **सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये**-कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या XI), पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियों आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें) (2) कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3) यदि आप कागजात की पुस्तक में कोई कागज शामिल नहीं करना चाहते हों, तो यह अपेक्षित है कि आप उक्त दिनांक 17-08-2026 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संयत निचले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो गए है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध है । आज दिनांक 19-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की मुहर से दिया गया। तामील किए जाने और मूलप्रति दिनांक तक सम्यक्ररूप से पृष्ठांकित कर वापस लौटाने के लिए श्री ..... को अग्रेषित। आवश्यक आदेशिका फीस उद्ग्रहीत कर ली गई है।

प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा

1201

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)

(अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14)

Process Id: 163461/2026 अपील क्रमांक MA/984/2015

SHEKH ALI **अपीलार्थी** FIROZ प्रत्यर्थी

सन् 2013 के MACC क्रमांक 1003 सन् 2013 में न्यायालय Member, MACT SUSHMA KHOSLA, Bhopal (Madhya Pradesh) की डिक्री/आदेश, दिनांक 12-11-2014 के विरुद्ध अपील।

प्रति, Firoz S/o Mohd Hafiz, Hno 86, Shikander Ahata Bogdapul, District-Bhopal, Madhya Pradesh

प्रत्यर्थी-अपील की सुनवाई का दिनांक-कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इम न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 17-08-2026 नियत की गई है। आपत्तियां, प्रति आपत्तियां, यदि कोई हो, इस गुचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए। **कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक**-कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 17-08-2026 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातो करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें। सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है। **सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये**-कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या XI), पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियों आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें) (2) कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3) यदि आप कागजात की पुस्तक में कोई कागज शामिल नहीं करना चाहते हों, तो यह अपेक्षित है कि आप उक्त दिनांक 17-08-2026 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संयत निचले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो गए है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध है । आज दिनांक 19-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की मुहर से दिया गया। तामील किए जाने और मूलप्रति दिनांक तक सम्यक्ररूप से पृष्ठांकित कर वापस लौटाने के लिए श्री ..... को अग्रेषित। आवश्यक आदेशिका फीस उद्ग्रहीत कर ली गई है।

प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा

1200